

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारंकित प्रश्न सं. 1866
29.11.2019 को उत्तर के लिए

भूमि अपक्रमण निष्प्रभाव कार्यक्रम

1866. श्री राजा अमरेश्वर नाईक :
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :
श्री भोला सिंह :
डॉ. कलानिधि वीरास्वामी :
श्री ए. राजा :
श्री एस. रामलिंगम :
डॉ. सुकान्त मजूमदार :

क्या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) भूमि अपक्रमण निष्प्रभाव कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है तथा देश में गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत तमिलनाडु सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी निधि स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई;
- (ख) उक्त अवधि के दौरान उपर्युक्त कार्यक्रम के अंतर्गत निर्धारित और प्राप्त किये गए लक्ष्यों का तमिलनाडु सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है तथा उक्त निर्धारित लक्ष्यों, यदि कोई हों, के प्राप्त नहीं होने के क्या कारण हैं;
- (ग) क्या सरकार का देश में अपने लक्ष्य में वृद्धि करने की योजना है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है तथा उक्त प्रयोजनार्थ कितनी निधि स्वीकृत करने की संभावना है एवं उक्त निधि कब तक आवंटित किये जाने की संभावना है;
- (घ) क्या सरकार ने 2030 तक पचास लाख हेक्टेयर अपक्रमित भूमि का पुनरुद्धार करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) क्या सरकार ने भूमि अपक्रमण की रोकथाम करने के लिए अनुसंधान प्रौद्योगिकी विकास हेतु देहरादून में भूमि अपक्रमण निष्प्रभाव हेतु उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना करने की योजना बनाई है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क), (ख) और (ग) : भूमि अपक्रमण रोकथाम लक्ष्य निर्धारण कार्यक्रम (एलडीएन-टीएसपी), संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम कन्वेंशन (यूएनसीसीडी) का एक कार्यक्रम है। वर्ष 2015 में अंकारा, तुर्की में आयोजित यूएनसीसीडी के पक्षकारों के सम्मेलन के बारहवें सत्र में राष्ट्र पक्षकारों को एलडीएल के दृष्टिकोण का समर्थन करने में और सामान्य रूप से एसडीजी के साथ कन्वेंशन के कार्यान्वयन को तथा विशेष रूप से लक्ष्य 15.3 को जोड़ने में सफलता प्राप्त हुई। लक्ष्य 15.3 कहता है : 'वर्ष 2030 तक मरुस्थलीकरण से निपटना है, मरुस्थलीकरण, सूखा और बाढ़ से प्रभावित भूमि सहित अपक्रमित भूमि तथा मिट्टी की बहाली करनी है और भूमि अपक्रमण की रोकथाम से युक्त विश्व की स्थिति के लिए प्रयत्न करना है'। भारत में, कन्वेंशन के लिए केंद्र बिंदु होने के नाते पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने हाल ही में इस पर प्रतिबद्धता जाहिर की है और इसकी प्राप्ति के लिए कार्य कर रहा है। राज्य-वार सूचना प्राप्त करना अभी बाकी है।

(घ) जी हां, सरकार ने वर्ष 2030 तक 50 लाख हेक्टेयर अपक्रमित भूमि की बहाली का लक्ष्य निर्धारित किया है। देश में सितम्बर, 2019 में आयोजित यूएनसीसीडी के पक्षकारों के 14वें सत्र (सीओपी-14) के दौरान भारत ने कुल

क्षेत्र की अपनी महत्वाकांक्षा को बढ़ा दिया है जो अब से 2030 के बीच इसकी भूमि अवक्रमण/मरुस्थलीकरण की स्थिति को 21 मिलियन हेक्टेयर (बाँन चुनौती के अंतर्गत पहले से ही प्रतिबद्ध) से 26 मिलियन हेक्टेयर तक बढ़ा देगा। बहाली कार्यक्रम के विवरण तैयार किए जा रहे हैं।

(ड) जी हां, सरकार ने भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद, देहरादून में भूमि अवक्रमण की रोकथाम हेतु उत्कृष्टता स्थापित करने की योजना बनाई है। विवरण मंत्रालय में तैयार किए जा रहे हैं।
